



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276332
CG-DL-E-21092026-276332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4887]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948

No. 4887]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

का.आ. 5078(अ).— यतः, मै. जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व मै. गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने कर्नाटक राज्य में कट्टीगेनहल्ली और वेंकटाला गाँव, येलहंका होबली, बेंगलोर जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.416(अ) दिनांक 14 मार्च, 2012 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और, यतः, मै. जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 10.23 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 43 एसपीआई 2023 दिनांक 15 मई, 2024 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 10.23 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 10.23 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1.91 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे नंबर और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	कट्टीगेनहल्ली	155	1.64
2.		159	2.90
3.		164	1.19
4.		165	1.63
5.		166	0.48
6.		167	2.39
कुल			10.23
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			1.91

[फा. सं. एफ. 1/160/2008-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2026

S.O. 5078(E).— Whereas, M/s GOCL Corporation Limited (Formerly M/s Gulf Oil Corporation Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for IT/ITES SEZ at Kattigenahalli and Venkatahalla Villages, Yelahanka Hobli, Bangalore District, Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 12.14 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 416(E) dated 14th March, 2012;

AND, WHEREAS, M/s GOCL Corporation Limited has now proposed for de-notification of 10.23 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No.CI 43 SPI 2023 dated 15th May, 2024;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 10.23 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 10.23 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 1.91 hectares. The survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Kattigenahalli	155	1.64
2.		159	2.90
3.		164	1.19
4.		165	1.63
5.		166	0.48
6.		167	2.39
Total			10.23
Grand Total Area of SEZ after above deletion			1.91

[F. No. F.1/160/2008-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.